पत्र संख्या– जी0एस0टी0/2018–19/ 459/181902 /वाणिज्य कर

**कार्यालय, कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0**
**(जी0एस0टी0 अनुभाग)**
**दिनांक, 27 जुलाई, 2018**

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,**
**समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक),**
**वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

जी0एस0टी0 के अन्तर्गत रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में दिनांक 23.07.2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सुस्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये गये थे तथा इससे पूर्व भी इस कार्यालय के पत्र संख्या 330 दिनांक 22.06.2018 एवं पुनः पत्र संख्या–399 दिनांक 16.07.2018 द्वारा भी स्पष्ट निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

वीडियों कान्फ्रेंसिंग में भी यह सुस्पष्ट निर्देश दिए गये थे कि जिन मामलों में RFD-01 जी0एस0टी0 पोर्टल पर अपलोड हुए हैं, किन्तु उसकी हार्डकॉपी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। उन व्यापारियों से संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वयं वार्ता कर हार्डकॉपी प्राप्त की जाएगी तथा यदि व्यापारी द्वारा हार्डकॉपी दाखिल करने में कोई कठिनाई बतायी जाती है तो उस कठिनाई का निराकरण कराते हुए हार्डकॉपी प्राप्त कर निस्तारण किया जाएगा।

अधिकांश अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल पर अपलोड प्रार्थना पत्र जिनकी हार्डकापी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है उनसे संबंधित व्यापारियों से क्षेत्राधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा दिनांक 31.07.2018 तक टेलीफोन अथवा व्यक्तिगत संपर्क कर हार्डकॉपी प्राप्त की जाए एवं नियमानुसार निस्तारण किया जाए। जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 द्वारा दिनांक 07.08.2018 तक प्राप्त हार्डकॉपी की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित की जाएगी। भविष्य में जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा यह समीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख एव 22 तारीख को मुख्यालय प्रेषित की जाएगी।

रिफण्ड माड्यूल में निस्तारण की प्रतिदिन फीडिंग भी की जाएगी। रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण के लिए कर निर्धारण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और जहां अधिक संख्या में हार्डकॉपी कार्यालय में प्राप्त नहीं होती हैं, वहां यह मानते हुए कि संबंधित खण्ड अधिकारी द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में रूचि नहीं ली गयी है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा के लिए जोनल एडीशनल कमिश्नर भी व्यक्तिरूप से उत्तरदायी होंगे तथा समीक्षा पर जिन जोनों की निस्तारण प्रगति संतोषजनक नहीं पायी जाएगी, संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर को भी उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

16/2/17

**(कामिनी चौहान रतन)**
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।**
**प्रतिलिपि :–**

1. अपर मुख्य सचिव, महोदय द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

**(कामिनी चौहान रतन)**
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।